संख्या : 4126 /1–10–2008–14(71)/2008

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 04 सितम्बर 2008

विषयः: दैवी आपदा से इतर अन्य घटनाओं के लिए अनुदान संख्या–51 के लेखाशीर्षक 2245 में से कोषागार नियम–27 द्वारा धनराशि का आहरण न करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय –42–अन्य व्यय" के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्या– जी0आई0–134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन व्यय करने के निर्देश दिये गये है। आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष यदि राहत वितरण हेतु धनराशि कम पड़े तो शेष वांछित धनराशि कोषागार नियम –27 के अन्तर्गत आहरित कर लिया जाय। कोषागार नियम –27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल दैवी आपदाओं जैसे –अग्निकांड, ऑधी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा आदि के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं –सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विघुत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नही किया जायेगा।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि दैवी आपदा से इतर अन्य घटनाओं के लिए भी अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य

व्यय'' के अन्तर्गत धनराशि का आहरण समायोजन की प्रत्याशा में किया जा रहा है। यह इंगित नहीं है।

कृपया दैवी आपदा से इतर अन्य घटनाओं के लिए अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 4126 (1)/1–10–2008–14 (71)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आमोद कुमार)
विशेष सचिव